

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

फरीदाबाद शाखा कार्यालय / Faridabad Branch Office :

एस.सी.ओ. 21, सैक्टर 12, फरीदाबाद (हरियाणा) 121007 / S.C.O. 21, Sector-12, Faridabad (Haryana) - 121007

दूरभाष/Phone : 0129-2292173, 2292179, ई-मेल / E-mail : frbo@bis.gov.in, वेबसाइट / Website : http://www.bis.gov.in

Our Ref: FRBO/CM/L- 9512557524

Dated :01-01-2025

हमारा सन्दर्भ: एफआरबीओ/सीएमएल- 9512557524

दिनांक : 01-01-2025

Subject: Grant of BIS Product Certification Licence No. 9512557524 as per IS 2095 : PART 3:2022

विषय: भारतीय मानक आई.एस. 2095 : PART 3:2022 अनुसार उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस संख्या - 9512557524 के अनुदान प्रदान करना हेतु।

M/S Diamond International Inex Pvt. Ltd.

Plot no. 98, Sector 8, IMT Manesar, Gurugram, Haryana, 122050

Dear Madam(s)/Sir(s).

महोदया / महोदय,

With reference to your application **FRBO/A- 95003415**, we are pleased to inform you that the Certification Marks Licence has been granted to you to use the Standard Mark in respect of the followings:

आपके आवेदन एफआरबीओ/ए- 95003415, के संदर्भ में, हमें आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि निम्नलिखित के संबंध में मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए आपको प्रमाणन चिह्न लाइसेंस प्रदान किया गया है:

Product: उत्पाद: Gypsum Plaster Boards - Specification Part 3 Reinforced Gypsum Plaster Boards Tiles Cornices and Mouldings Third Revision of IS 2095 Part 3

Grade/Class/Type/Variety

GRG Ceiling Tile, 595x595x12 mm,

GRG Ceiling Tile, 595x595x10 mm

As per IS 2095 : PART 3:2022. भा०मा० आई.एस. 2095 : PART 3:2022 के अनुसार

2. The number assigned to this Licence is CM/L-9512557524 which has been made operative from 2024-12-24 and is valid upto 2025-12-23. The licence number shall invariably be referred to in your future correspondence.

2. इस लाइसेंस के लिए निर्धारित संख्या CM/L- 9512557524 है जिसे 2024-12-24 से क्रियान्वित किया गया है और 2025-12-23 तक वैध है। यह लाइसेंस संख्या आपके भविष्य के पत्राचार में अनिवार्य रूप से संदर्भित की जाएगी।

3. The licence is granted on the explicit condition that you shall mark entire production under scope of licence with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standards. Accordingly, you shall cover the entire production under scope of licence with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standards. In addition, you shall display the BIS product certification licence held by you prominently at your premises and also mention the BIS product certification licence held by you in your commercial advertisements.

3. यह लाइसेंस इस स्पष्ट शर्त पर प्रदान किया जाता है कि आप लाइसेंस के दायरे के तहत पूरे उत्पादन को मानक चिह्न के साथ चिह्नित करेंगे और प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुसार अनुरूपता बनाए रखेंगे। तदनुसार, आप पूरे उत्पादन को मानक चिह्न के साथ लाइसेंस के दायरे में शामिल करेंगे और प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुसार अनुरूपता बनाए रखेंगे। इसके अलावा, आप अपने पास मौजूद बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस को अपने परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे और अपने वाणिज्यिक विज्ञापनों में आपके पास मौजूद बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस का भी उल्लेख करेंगे।

4. According to Sub-Paragraph (1) & (3) of Paragraph 5 of Scheme-I of Schedule-II under Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, the annual licence fee of Rs.1000.00 and the marking fee as notified is payable by you with effect from 2024-12-24 for the period of validity of the licence in advance.

4. भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 के तहत अनुसूची-II की योजना-I के पैरा 5 के उप-पैरा (1) और (3) के अनुसार, वार्षिक लाइसेंस शुल्क 1000.00 रुपये और मुहरांकन शुल्क जैसा कि अधिसूचित किया गया है, आपके द्वारा अग्रिम में लाइसेंस की वैधता की अवधि के लिए 2024-12-24 से देय है।

5. Minimum Marking fee stipulated under Scheme-I of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018 is payable by you regardless of the fact whether you actually mark your product or not with the Standard Mark. **Our Receipt No. AA95PC2024002235 dated 2024-11-27** for the licence fee and the minimum marking fee for the first operative period is already issued.

5. बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की योजना-I के तहत निर्धारित न्यूनतम मुहरांकन शुल्क आपके द्वारा देय है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि आप वास्तव में अपने उत्पाद को मानक चिह्न के साथ चिह्नित करते हैं या नहीं। लाइसेंस शुल्क और न्यूनतम के लिए **हमारी रसीद संख्या आर / AA95PC2024002235 दिनांक 2024-11-27** प्रथम परिचालन अवधि के लिए अंकन शुल्क पहले ही जारी की जा रही है।

6. This advance minimum marking fee will be carried over to the next year on every renewal. The actual marking fee calculated on the unit rate on the production marked or the minimum marking fee, whichever is higher, shall be payable by you at the time of renewal.

6. प्रत्येक नवीकरण पर यह अग्रिम न्यूनतम मुहरांकन शुल्क अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाएगा। मार्क किए गए उत्पादन पर यूनिट दर पर गणना की गई वास्तविक मार्किंग फीस या न्यूनतम मार्किंग फीस, जो भी अधिक हो, नवीनीकरण के समय आपके द्वारा देय होगी।

7. With a view to streamlining the reporting of quantity marked, calculation and collection of marking fee on the unit rate basis, fees will be calculated on the production marked during the first nine months of operation of the licence at the time of first renewal, and on the production marked during twelve months comprising the last three months of the previous operative year and the first nine months of the current operative year, at the time of the second and subsequent renewals. In case the licence expires, the entire production marked till the expiry date shall be taken into account for calculating the marking fee payable.

7. चिह्नित मात्रा की रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने, इकाई दर के आधार पर मुहरांकन शुल्क की गणना और संग्रह करने की दृष्टि से, शुल्क की गणना पहले नवीनीकरण के समय लाइसेंस के संचालन के पहले नौ महीनों के दौरान चिह्नित उत्पादन पर की जाएगी, और बारह महीनों के दौरान चिह्नित उत्पादन पर, जिसमें पिछले ऑपरेटिव वर्ष के अंतिम तीन महीने और चालू ऑपरेटिव वर्ष के पहले नौ महीने, दूसरे और बाद के नवीनीकरण के समय शामिल हैं। यदि लाइसेंस समाप्त हो जाता है, तो देय अंकन शुल्क की गणना के लिए समाप्ति तिथि तक चिह्नित पूरे उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा।

8. The Scheme of Inspection and Testing as specified by BIS will have to be implemented by your organization strictly and completely. This supervision of the operation of the Scheme shall be done by a person responsible for the quality control function in your organization. Kindly inform us the name and designation of the person who will be held responsible for the operation and maintenance of the Scheme. Any future change in this respect will have to be communicated by you to us as and when these take place.

8. बीआईएस द्वारा निर्दिष्ट निरीक्षण और परीक्षण की योजना को आपके संगठन द्वारा सख्ती से और पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। योजना के संचालन का यह पर्यवेक्षण आपके संगठन में गुणवत्ता नियंत्रण कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। कृपया हमें उस व्यक्ति का नाम और पदनाम बताएं जो योजना के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। इस संबंध में भविष्य में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में आपको हमें सूचित करना होगा।

9. We are enclosing a sheet giving the preferred dimensions of the Standard Mark to enable you to prepare the designs of the Standard Mark for marking the above product Photographic reduction in any size is permissible. This will ensure the relative proportions of the different dimensions maintained. Preferred dimensions be used as far as possible.

9. हम मानक मार्क के अधिमानित आयाम देते हुए एक शीट संलग्न कर रहे हैं ताकि आप उपरोक्त उत्पाद को चिह्नित करने के लिए मानक मार्क के डिजाइन तैयार कर सकें किसी भी आकार में फोटोग्राफिक कटौती की अनुमति है। यह सुनिश्चित रखे कि विभिन्न आयामों के सापेक्ष अनुपात बने रहे। जहाँ तक संभव हो अधिमानित आयामों का उपयोग किया जाना चाहिए।

10. On commencement of marking of your product for which you are licensed, you may advertise your product with Standard Mark in various media only during the validity of your licence. The use of Standard Mark on letterheads and publicity literature will be permitted only on receipt of your assurance that in the event of cancellation or lapsing of your licence, the Standard Mark on your letterheads, publicity literatures etc. will be destroyed/obliterated.

10. आपके जिस उत्पाद के लिए आपको लाइसेंस दिया गया है, उसकी मार्किंग शुरू होने पर, आप अपने लाइसेंस की वैधता के दौरान ही विभिन्न मीडिया में स्टैंडर्ड मार्क के साथ अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं। लेटरहेड और प्रचार साहित्य पर मानक चिह्न के उपयोग की अनुमति केवल आपके आश्वासन प्राप्त होने पर दी जाएगी कि आपके लाइसेंस के रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में, आपके लेटरहेड, प्रचार साहित्य आदि पर मानक चिह्न को नष्ट/मिटा दिया जाएगा।

11. This licence is granted for your manufacturing premises situated at (Plot no. 98, Sector 8, IMT Manesar, Gurugram, Haryana, 122050) Privileges under the licence shall not be exercised by any other firm company/factory etc. This licence is not transferable in the event of shifting the manufacturing and testing equipment from the licensed premises to some other place, use of Standard Mark shall be stopped till the new premises are inspected and found to be satisfactory by BIS in respect of manufacturing and testing facilities available there and the address of the new premises is endorsed in the licence.

11. यह लाइसेंस आपके निर्माण परिसर (प्लॉट नंबर। 98, सेक्टर 8, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा, 122050). के लिए प्रदान किया गया है। लाइसेंस के तहत विशेषाधिकार किसी अन्य फर्म कंपनी/कारखाने आदि द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह लाइसेंस निर्माण और परीक्षण उपकरण को लाइसेंस प्राप्त परिसर से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की स्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है, नए परिसर का निरीक्षण होने तक मानक चिह्न का उपयोग बंद कर दिया जाएगा और वहां उपलब्ध निर्माण और परीक्षण सुविधाओं के संबंध में बीआईएस द्वारा संतोषजनक पाया गया और नए परिसर का पता लाइसेंस में पृष्ठांकित होगा।

12. You are also advised to make yourself and other employees in your organization aware about the provisions of the BIS Act, 2016 and Rules and Regulations framed there under especially the implications in case of any intentional or unintentional non-adherence.

12. आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप खुद को और अपने संगठन के अन्य कर्मचारियों को बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में जागरूक करें, विशेष रूप से किसी भी जानबूझकर या अनजाने में गैर-अनुपालन के मामले में निहितार्थ।

13. It may be noted that this licence is granted based on undertaking that in the event of non-conformity of the sample in long duration test(s) or your inability to submit the test report immediately but not later than 30 days (one month) from the date of test report confirmed by the laboratory, the licence shall be processed for cancellation. (Applicable for GoL with undertaking for long duration test)

13. यह ध्यान दिया जाए कि यह लाइसेंस इस वचनबद्धता के आधार पर प्रदान किया गया है कि लंबी अवधि के परीक्षण (परीक्षणों) में नमूने के अनुरूप न होने या परीक्षण रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करने में आपकी असमर्थता की स्थिति में लेकिन 30 दिनों के बाद नहीं (एक माह) प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि की गई परीक्षण रिपोर्ट की तारीख से, लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया की जाएगी। (लंबी अवधि के परीक्षण के उपक्रम के लिए लागू)

14. It may be noted that this licence is granted under option 2 which is subject to the condition that if samples drawn on (Date of drawl of verification sample) by BIS during the verification visit before grant of licence, fail to conform to the requirements of relevant Indian Standard (in any requirement), the licence shall be put under suspension, and in case fresh sample after corrective action is not offered within one month or fresh sample fails to conform to the requirement of relevant Indian Standard, in any requirement, the licence shall be processed for cancellation (Applicable for GoL under option 2).

14. यह ध्यान दिया जाए कि यह लाइसेंस विकल्प 2 के तहत प्रदान किया गया है, जो इस शर्त के अधीन है कि यदि लाइसेंस प्रदान करने से पहले सत्यापन दौरे के दौरान बीआईएस द्वारा (सत्यापन नमूना लेने की तिथि) पर तैयार किए गए नमूने, प्रासंगिक भारतीय मानक की आवश्यकताओं (किसी भी आवश्यकता में), में विफल रहता है, तो लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा। और यदि एक महीने के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई के बाद नया नमूना पेश नहीं किया जाता है या ताजा नमूना किसी भी आवश्यकता में प्रासंगिक भारतीय मानक की आवश्यकता के अनुरूप विफल रहता है, तो लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया की जाएगी (विकल्प 2 के लिए लागू)।

Thanking you, धन्यवाद,

भवदीय
Vibha Rani
(Vibha Rani)

(विभा रानी)

Director & Head

निदेशक एवं प्रमुख

Point No. 13 & 14 *(If applicable)

Encl: As above.

अनुलग्न: उपरोक्त के अनुसार।



भारतीय मानक ब्यूरो
Bureau of Indian Standards
The National Standards Body of India

For any other
communication

Address: Faridabad Branch Office-SCO 21, sector
FARIDABAD,HARYANA,121007
Phone: 0129-2292175, 2292179
Fax: 01292291860
E-Mail: frbo@bis.gov.in
Web: www.bis.org.in, www.manakonline.in

हमारा संदर्भ: एफआरबीओ/एल-


दिनांक: 01-01-2025

विषय: नए लाइसेंसधारियों द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापन के संबंध में अनुरोध

महोदय

1. ब्यूरो से प्रमाणन मुहर लाइसेंस प्राप्त करने पर आप ब्यूरो के प्रमाणन मुहर योजना के लाइसेंस परिचालन करने वाले लाइसेंसधारियों के बड़े परिवार में शामिल हो गए हैं।
2. जैसा की आप जानते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्राहक उत्सुकता से मानको के अनुरूप उत्पाद के लेने के इच्छुक रहते हैं और वे भी नए बीआईएस लाइसेंसियो को जानने के इच्छुक होंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि आपके जिस उत्पाद को बीआईएस लाइसेंस दिया गया है उसका पता दूर दूर तक लगना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए हम आपको सुझाव देते हैं आपको जिस उत्पाद के लिए लाइसेंस दिया गया है उसका विवरण और जानकारी समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से दे। उपभोक्ता के दिमाग में अच्छी इमेज बनाने के लिए प्रदत्त मानक मुहर को विज्ञापन में दर्शाए। बेहतर कवरेज के लिए क्षेत्रीय समाचार पत्रों में इसी तरह के विज्ञापन जारी करना आपके लिए उपयोगी हो सकता है।
3. अतिरिक्त प्रचार के लिए आप अन्य मीडिया माध्यमों जैसे रेडियो या टीवी पर भी विचार कर सकते हैं।
4. हम आशा करते हैं कि आप उपर्युक्त सुझावों पर अमल करेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप अपने विज्ञापन का पाठ पुरे विज्ञापन/प्रचार के वार्षिक कार्यक्रम के साथ स्वीकृति के लिए भेजें।

धन्यवाद।

भवदीय,

निदेशक एवं प्रमुख